

कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.-भूप्रआ/समु/आरआर./11/2/1/2009-10/

दिनांक:

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
भरतपुर

विषय:- ग्राम दलीलपुर, तह0 व जिला करौली की बन्द की अधिसूचना
की प्रति भेजने बाबत ।

प्रसंग :-राजस्व ग्रुप-1 विभाग का पत्रांक प.13(3) राज-1/2016
दिनांक 10.01.2019


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा ग्राम दलीलपुर, तह0 व जिला
करौली की बन्द की अधिसूचना दिनांक 10.01.2019 के अन्तर्गत धारा 106,107 एवं 108
प्रसारित कर भिजवाई है जिसकी छाया प्रतियां संलग्न प्रेषित कर लेख है कि उक्त ग्राम
का नवीन अभिलेख राजस्व एजेन्सी को 15 दिवस में सम्भलाकर सूचना मुख्यालय को भी
भिजवावे ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

हू०
(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
अति०भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक:- 12-2-19

क्रमांक/फा/समसंख्यक/26/
प्रतिलिपि:-

1- प्रोग्रामर,मुख्य कार्यालय जयपुर को अधिसूचना की छायाप्रति विभागीय वेबसाईट पर
अपलोड करने हेतु संलग्न प्रेषित है ।


सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी
मुख्यावास राजस्थान, जयपुर

(राज-राज (राज))

17-11-19

59

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प0 13(3)राज.-1/2016

जयपुर, दिनांक 10.01.19

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या-15) की धारा-106 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि ग्राम दलीलपुर तहसील व जिला करौली का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य अधिसूचना क्रमांक: प0 13(3)राज./ग्रुप-1/2016 दिनांक 31.05.2017 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। उक्त ग्राम का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने के दिनांक से ग्राम दलीलपुर में पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य बन्द घोषित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

३०

(शक्ति सिंह राठौड़)

संयुक्त शासन सचिव

R-R.

३
22-1-19


प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
2. जिला कलक्टर, करौली।
3. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/01/2009-10/2672 दिनांक 20.11.2018।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू-प्रबन्ध अधिकारी, भरतपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

३०

संयुक्त शासन सचिव

RR/25
4/2/19



राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प0 13(3)राज.-1/2016

जयपुर, दिनांक 10/01/19

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या-15) की धारा-107 व 108 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि ग्राम दलीलपुर तहसील व जिला करौली के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण का कार्य अधिसूचना क्रमांक: प0 13(3)राज./ग्रुप-1/2016 दिनांक 31.05.2017 के द्वारा प्रारम्भ करवाया जाकर निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु भू-प्रबन्ध अधिकारी भरतपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। उक्त ग्राम का कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने के दिनांक से ग्राम दलीलपुर के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य बन्द घोषित किया जाता है तथा अपर भू-अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति निरस्त की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

३०

(शक्ति सिंह राठौड़)

संयुक्त शासन सचिव

R.R.
22-1-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
2. जिला कलक्टर, करौली।
3. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/01/2009-10/2672 दिनांक 20.11.2018।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू-प्रबन्ध अधिकारी, भरतपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

RR/26
4/2/19

कार्यालय भू-प्रबन्ध विभाग
राज., जयपुर
पत्र-प्राप्ति
22 JAN 2019
क्रमांक 42

21/1

संयुक्त शासन सचिव